न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/08

श्रीमती भंवरी बाई पत्नी सीताराम जाति दरोगा निवासी देवजी का थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. भंवर लाल आत्मज श्री रामजानकी जाति दरोगा निवासी देवजी का थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. अयोध्या पुत्री सीताराम पत्नी छोटूराम खानावत निवासी ग्राम धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. भंवर बाई पुत्री मदनलाल पत्नी उच्छव सिंह जाति नरूका निवासी कोटडी गोरर्धनपुरा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा ।
4. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 17/18

श्रीमती भंवरी बाई पत्नी सीताराम जाति दरोगा निवासी देवजी का थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. भंवर लाल आत्मज श्री रामजानकी जाति दरोगा निवासी देवजी का थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. अयोध्या पुत्री सीताराम पत्नी छोटूराम खानावत निवासी ग्राम धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. भंवर बाई पुत्री मदनलाल पत्नी उच्छव सिंह जाति नरूका निवासी कोटडी गोरर्धनपुरा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटा ।
4. राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान् तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कन्हैया लाल मीणा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से दोनों अपीलों में।
3. श्री राजकुमार मीणा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2 व 3 की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 17.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने से तथा समान पक्षकार होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा एक अपील प्राथमिक डिक्री के खिलाफ एवं दूसरी अंतिम डिक्री के खिलाफ होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 एवं 53 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया किया कि ग्राम थाना तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या 208 में खसरा नम्बर 592 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा , खसरा नम्बर 593 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 603 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 604 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 607 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा कुल 05 किता रकबा 08 बीघा 05 बिस्वा व खसरा नम्बर 256 गै0मु0 चाह रकबा 06 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि संवत् 2066 की जमाबन्दी में भंवरी बाई बेवा सीताराम के नाम दर्ज है । उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है । उक्त भूमि में वादी की माता का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी क्रम 2 का 1/3 हिस्सा है । वादी की माता का देहान्त हो जाने के बाद वादी का वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा निहित है । प्रतिवादी क्रम 1 ने अपने पति की मृत्यु के उपरान्त सीताराम का फोती इंतकाल केवल स्वयं भंवरी बाई के नाम दर्ज करवा लिया जो गैर कानूनी एंव अवैधानिक है । पक्षकारान पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं उक्त प्रावधानों के अनुसार वादी उक्त भूमि में 1/6 हिस्से के खातेदार हैं । वादी की माता के पिता ने उनके जीवनकाल में ही वादग्रस्त आराजी के 03 हिस्से कर दिये थे एक हिस्सा वादी की माता को एक हिस्सा प्रतिवादी क्रम 1 व एक हिस्सा प्रतिवादी क्रम 2 को दे रखा था और इसी अनुसार पक्षकार काश्त करते चले आ रहे हैं। वादी के बाहर रहने से प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गई है और वह वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं ।

4. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का हिस्सा 1/6 विभाजन किया जाकर वादी का खाता पृथक से कायम किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रसत आराजी का रहन, बेचान एवं भारग्रस्त नहीं करे व उक्त भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे एवं वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.03.2016 के द्वारा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की । अधीनस्थ

न्यायालय ने उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 10.05.2016 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.05.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी कम 1 भंवरी बाई ने न्यायालय हाजा में दोनों अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में जवाबदावा बन्द कर एकपक्षीय निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । रेस्पोडेन्ट कम 1 का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नहीं है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.05.2016 निरस्त फरमाये जावें ।

7. अपीलान्ट ने दोनों अपीलों में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की की जानकारी प्राप्त होते ही दिनांक 23.05.2016 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर उक्त दोनों अपीलें न्यायालय हाजा में पेश की गई हैं । अपीलान्ट दिनांक 26.05.2016 से दिनांक 17.06.2016 तक बीमार होने से उक्त अपील समय पर पेश नहीं कर सका था । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् एक दावा वादी भंवर लाल ने हक घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन का पेश किया गया जिसमें दिनांक 06.02.2014 को एक तरफा कार्यवाही की जाकर दिनांक 31.03.2016 को प्रारम्भिक डिक्री और दिनांक 10.05.2016 को अंतिम डिक्री पारित की गई । अपीलान्ट को सूचना नहीं दी गई है, आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अपीलान्ट को कोई सूचना अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नहीं दी गई है । न्यायालय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है । राजस्व मण्डल नियमों की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.05.2016 निरस्त फरमाये जावें ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से दिनांक 20.07.2011 को वकालतनामा पेश किया गया । दिनांक 20.07.2012 को प्रतिवादी कम 03 की ओर से अण्डरटेकिंग दी गई । दिनांक 06.02.2014 को प्रतिवादीगण के खिलाफ उनके उपस्थित नहीं आने पर एकतरफा कार्यवाही की गई । दिनांक 20.05.2014 को पत्रावली जवाब सरकार के लिए नियत की गई इसके उपरान्त साक्ष वादी ली जाकर दिनांक 31.03.2016 को प्रारम्भिक डिक्री और दिनांक 10.05.2016 को अंतिम डिक्री

पारित की गई है । तहसील से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित की गई है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक तरफा कार्यवाही निरस्त करने के लिए कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.05.2016 बहाल रखे जावें ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 1 भंवर लाल ने अपीलान्ट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा हक घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं विभाजन का पेश किया है । वादी ने स्वयं को सीताराम की पुत्री रामजानकी का पुत्र बताते हुए हक घोषणा एवं विभाजन का दावा पेश किया है । पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 प्रदर्श– 1 के अनुसार वादग्रस्त आराजी भंवरी बाई बेवा सीताराम अपीलान्ट के तन्हा खाते में दर्ज है । वादी भंवर लाल का यह कथन है कि रामजानकी का पुत्र होने के नाते वादग्रस्त आराजी में उसका हिस्सा निहित है । अंतिम डिक्री के लिए बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का के द्वारा तैयार किये गये हैं और उसे तहसीलदार के द्वारा पृष्ठांकित किया गया है जबकि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को न्यायहित में साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.03.2016 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 10.05.2016 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित करें । प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसील से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.11.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 17.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17.9.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा